



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 589 राँची, बुधवार,

11 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 अगस्त, 2024

संख्या-5/आरोप-1-74/2017-26883(HRMS)--मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के गै०स०प्रे०सं०-3600171, दिनांक 29.08.2013 द्वारा दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में दिनांक 10.08.2013 को प्रकाशित "आरक्षण का लाभ ले गये बाहरी" शीर्षक समाचार के कतरन की प्रति संलग्न करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-10577, दिनांक 31.10.2013 द्वारा श्री प्रमोद कुमार दास, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-263/20) से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन हेतु) की माँग की गयी। श्री दास के पत्र, दिनांक 09.01.2015 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराकर पत्र भेजने के आधार पर ही प्रश्न उठाया गया ।

श्री दास द्वारा गलत तरीके से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी मामले की जाँच के क्रम में उनके पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण विभागीय पत्रांक-9703, दिनांक 05.11.2015 द्वारा उपायुक्त, राँची को भेजते हुए अनुशंसा सहित मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गई। उपायुक्त, राँची से प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

समीक्षोपरांत, श्री दास के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-6671, दिनांक 03.08.2016 द्वारा जाति छानबीन समिति, कल्याण विभाग से जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य की माँग की गयी। आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-673, दिनांक 12.05.2017 द्वारा श्री दास का प्रस्ताव वापस करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित मामला उनसे संबंधित नहीं है बल्कि निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र की वैधता से संबंधित है, जो जाति छानबीन समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर का है।

तत्पश्चात मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री दास के विरुद्ध संशोधित आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित है कि केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए मान्य स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति के आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत तृतीय जे0पी0एस0सी0 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है। इनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है एवं दण्डनीय है।

श्री दास के विरुद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-12077, दिनांक 11.12.2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-97, दिनांक 02.05.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप विधि-सम्मत एवं उचित नहीं प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री दास के विरुद्ध गठित आरोप, इनका बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री दास से संबंधित मामले के समान एक अन्य मामले में श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से० से संबंधित आरोप पत्र पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः श्री प्रभात भूषण सिंह से संबंधित संचिका में दो बिन्दुओं पर विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त हो जाने के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

श्री प्रभात भूषण सिंह से संबंधित मामले में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

" Thus in view of ambiguity in Para-10 of said advertisement as also in view of the fact that no objection was raised by Jharkhand Public Service Commission at relevant time and also subsequently no objection was raised by verifying authority as also in view of the fact that several persons have submitted identical certificates and have been declared successful and are working and further in the light of Judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Pankaj Kumar, the issue cannot be reopened at this stage.

In the light of aforesaid facts and circumstances, in my opinion, the answer to the first query as to whether this certificate no. 17222 dated 26th June 2010 submitted by the petitioner which was valid only for the purpose of educational institutions can be accepted to be valid in terms of advertisement no 11/2007 is that it can be accepted as valid.

The answer to second query is that the certificate submitted by the delinquent being certificate no. 8 dated 05.08.2016 is not acceptable as the same has been issued in terms of resolution number 3198 dated 18th September 2016 which was not valid on the date of submission of application. The same can not be accepted as it has been submitted after expiry of date of submission and can not be considered in view of judgment of Hon'ble High Court reported in 2019 (1) JLJR 209 (HC)."

विधि विभाग झारखण्ड से प्राप्त परामर्श एवं संबंधित मामले में समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध गठित आरोप पत्र से संबंधित विषयवस्तु लगभग एक समान है। मात्र आरक्षण कोटि का अंतर है। श्री प्रभात भूषण सिंह पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत चयनित हैं, जबकि श्री प्रमोद कुमार दास अनुसूचित जाति कोटि के अन्तर्गत चयनित हैं। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा शैक्षणिक कार्यों के लिए मान्य स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत तृतीय जे०पी०एस०सी० में प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने संबंधित आरोप प्रतिवेदित है।

अतः समीक्षोपरांत विधि विभाग से प्राप्त परामर्श एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, जिसमें आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप विधि-सम्मत एवं उचित नहीं प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया, के आलोक में श्री प्रमोद कुमार दास, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-263/20) को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रमोद कुमार दास, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRAMOD KUMAR DAS JHA/JAS/141	श्री प्रमोद कुमार दास, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-263/20) को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
